आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
03/08/2022	आदेश (पूरा पाठ नीचे)	ज्ञापांक 1218 दिनांक 17-8-22

आदेश

प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या–23/2019–20 आवेदक–राजू चौडे, पिता–स्व० सिनन्द चौडे, साकिन–भुरकुण्डी, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–भुरकुण्डी, थाना नं०–372 का प्रधान नियुक्त करनें हेतु समर्पित आवेदन एवं पी०ए० वाद संख्या–19/2020–21 आवेदक–हेमलाल हांसदा, पिता–स्व० जीतन हांसदा, साकिन–भुरकुण्डी, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत् समर्पित आवेदन को सम्बद्ध कर अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पालोजोरी से ज्ञापांक–62/डी०बी० दिनांक–31.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–528/रा०, दिनांक–17.11.2020 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है।

अंचल अधिकारी, पालोजोरी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भुरकुण्डी, थाना नं०–372 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान नुनुलाल चौडे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आवेदक–राजू चौडे अंतिम प्रधान के छोटे भाई के द्वितीय पुत्र है। अंतिम प्रधान स्व० नुनुलाल चौडे की एक मात्र पुत्री संतोषी चौड़े की शादी हो चुकी है एवं उनके पत्नी सनमति हॉसदा ने शपथ पत्र सं०–9155, दिनांक–02.11.2020 द्वारा प्रधान बनने की अनिच्छा जाहिर की है साथ ही आवेदक–राजू चौडे को प्रधान नियुक्ति में सहमति व्यक्त की गई है। आवेदक के बड़े भाई विनोद कुमार चौड़े, सरकारी शिक्षक है, ने शपथ पत्र सं०–9209, दिनांक–03.11.2020 द्वारा प्रधान नियुक्ति पर सहमति व्यक्त किया है। मौजा में जमाबंदी रैयतों की कुल सख्या–77 है एवं वार्षिक लगान–900/–(सौ सौ रूपया) अलावे सेस है।

अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर आवेदक–राजू चौडे को मौजा–भुरकुण्डी का 8 (आठ) आना का प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किये है।

आवेदक–हेमलाल हांसदा, मौजा–भुरकुण्डी, थाना नं०–372, जमाबंदी नं0–48 के खतियानी प्रधान स्व0 मतला चौड़े के वंशज में नही आते है, तद्नुसार उक्त मौजा के जमाबंदी नं0–6 के आवेदक–हेमलाल हांसदा द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत् समर्पित प्रधान नियुक्ति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः अंचल अधिकारी, पालोजोरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक–राजू चौडे, पिता–स्व० सिनन्द चौडे, साकिन–भुरकुण्डी, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर मौजा–भुरकुण्डी, थाना नं०–372 का 8 (आठ) आना का प्रधान नियुक्त किया जाता है।

तद्नुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालोजोरी को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित

3/8/22
अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

3/8/22
अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

17.08.22 आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि दाखिल किया गया। पट्टा निर्गत करें।

अनुमण्डल पदाधिकारी
मधुपुर।

पट्टा प्राप्त
[illegible]
प्रधान

Digitally signed by DINESH KUMAR YADAV
Date: 2022.10.14 10:57:41 +05:30
Location: 192.168.1.206